

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 25, 1972/फाल्गुन 6, 1893

No 44] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 25, 1972, PHALGUNA 6, 1893

इस भाग में भिन्नपृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 25th February 1972

SUBJECT.—*Import policy for registered exporters for the period April 1971—
March 1972 (Amendment No. 61).*

No. 31 ITC(PN)/72.—Attention is invited to the import policy for registered exporters contained in the Import-Trade Control Policy Book Vol. II for the period April 1971—March 1972 issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 44-ITC(PN)/71 dated 30th April, 1971.

2. The following amendments may be made at the appropriate places as indicated below:—

Page No. of the Red Book	Reference	Amendments
1. 166.	<u>B, 46.2</u> Col. 4.	After entry (n), the following entry may be added:— “(o) Special glass melting crucibles with covers (capacity 350/400 lbs.).”
2. 187-188	<u>C, 22</u> Col. 4	The existing entry (p) may be amended to read as under:— “(p) Abrasive slitting wheels diameter 4” to 6” with thickness 0.004” to 0.007.”
3. 234	<u>G, 26.2</u> Col. 4	After entry (d), the following may be inserted:— “(e) Polythene Granules [1½% see remark]”
4. 234	<u>G, 26.2</u> Col. 5	The following remark may be inserted:— “Same remarks as against item G. 1. 12(g)”,
5. 234	<u>G, 26.3</u> Col. 4	After entry (a), the following may be inserted — “(b) Polythene Granules [(1 %) see remark]”
6. 234	<u>G, 26.3</u> Col. 5	The following remark may be inserted :— “Same remark as against item G. 1. 2 (g.)”

3. The item “PVC insulated power cables with copper conductor (of 1.1 kv and above)” has been classified under the product group “A. ENGINEERING GOODS” and falls under S. No. A 75.6. This may be inserted alphabetically at the appropriate place of the Index under the said product group.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1972

विषय :—अप्रैल, 1971-मार्च, 1972 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या 61)

संख्या 31 आई० टी० सी० (पी० एन०) /72 विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 44 आई टी सी (पी एन) /71, दिनांक 30-4-71 के अन्तर्गत अप्रैल, 1971-मार्च, 1972 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रेडबुक) के बा० 2 में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्टानुसार उपयुक्त स्थानों पर किए जाएं :—

रेडबुक (बा० 2) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1. 166	बी० 46.2 ----- कालम 4	प्रविष्टि (एन) के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाए : “(ओ) विशेष कांच पिचलाने को कुल्हियां, उष्कन के साथ (धारिता 350/400 पोंड)”
2. 187-188	सी० 2 ----- कालम 4	वर्तमान प्रविष्टि (पी) निम्न प्रकार से पढ़ने के लिए संशोधित की जाए :— “(पी) अपथर्पी चीरने के पहिले, व्यास 4” से 6” मोटाई 0.004” से 0.007”
3. 234	जो० 26.2 ----- कालम० 4	प्रविष्टि (डी) के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि निविष्ट को जाए : “(ई) पालिथोन कणियां [(1%) टिप्पणी देखिये)]
4. 234	जी. 26.2 ----- कालम. 5	निम्नलिखित प्रविष्टि निविष्टकी किया जाए :— “वही तिप्पणियां जो मद जी. 1०12 (जी) के सामने है
5. 234	गी. 26.3 ----- कालम. 4	प्रविष्टि (ए) के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि निविष्ट की जाए :— “(बी) पालिथोन कणियां [(1%) टिप्पणी देखिये)”
6. 234	जी. 26.3 ----- कालम. 5	निम्नलिखित टिप्पणी को निविष्ट किया जाए :— “वही टिप्पणी जो मद जी. 1. 12 (जी) के सामने है।”

3. “तांबा जालक (1.1 के जी तथा इससे ऊपर के) सहित मध पी बी सी इन्सुलेटिड पावर केबल” उत्पाद गुप “ए० इंजीनियरिंग गुडसे” के अंतर्गत वर्गीकृत की गई है और क्रम सं० ए० 75.6 से आती है। इसे सूचक के संगत स्थान पर उक्त उत्पाद गुप में वर्णक्रमानुसार निविष्टि किया जाए।

एम० एम० सेन,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

